न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
वजाराम पुत्र रूडाराम जाति कलबी निवासी पालडी सोलंकीयान तहसील सांचोर जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 24/2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1 श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलान्ट
2 श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 13.12.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि पटवारी हल्का पालडी सोलंकीयान ने दिनांक 27.12.2018 को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि गैर सायल वजाराम पुत्र रूडाराम जाति कलबी निवासी पालडी सोलंकीयान ने ग्राम पालडी सोलंकीयान की सरहद में खसरा नबंर 887 रकबा 0.0105 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संवंत 2075 में अवैध कब्जा कर ढालीया टिनसेड बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर तहसीलदार सांचोर द्वारा मुझ अपीलांट को दिनांक 27.12.2018 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मेरे विरूद्व मुकदमा दर्ज कर जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर मुझ अपीलांट को न तो नोटिस मिला और न ही मुझ अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानाकारी हुई।नोटिस मेरे पुत्र महेन्द्र कुमार को दिया जाकर तामील करवाया।जबकि महेन्द्र कुमार मेरा नाबालिग पुत्र है उसके बाद दिनांक 11.01.2019 को पत्रावली नोटिस न्यायालय द्वारा तामील मानकर प्राप्त हुआ एवं मुझ अपीलांट को सुनवाई का उसी दिन अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 15.03.2019 को पटवारी हल्का पालडी सोलकीयान की पटवारी श्रीमति मूर्ति विश्नोई उपस्थित होकर उक्त पत्रावली में अपने बयान लिखवाये गये फिर पेशी दर पेशी पत्रावली दिनांक 07.06.2019 को न्यायालय तहसीलदार के समक्ष पेश हुई जिस पर गैर सायल अपीलांट की ओर से जबाब पेश नही करने पर शहादत बन्द की जाती है एवं प्रकरण में गैर सायल अपीलांट वजाराम के विरूद्व धारा 91(2)राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिचारी कर वार्षिक लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की जाती है।वार्षिक लगान 1.00 गुणा 50 यानि 50/रूपये शास्ती जुर्माना वसुल किया जावे।धारा 91(4)की उपधारा 2(क)भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पटवारी हल्का पालडी सोलकीयान भू-अभिलेख निरीक्षक धमाणा को आदेशित किया जाता है कि अतिचारी द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गये ढालीया टीनसेड को हटाकर एवं भूमि से बेदखल

कर भूमि पर कब्जा प्राप्त करे।पटवारी हल्का पालडी सोलंकीयान व तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ती की मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावे।निर्णय दिनांक 07.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्व सुनाया गया।जिससे व्यथित होकर मुझ अपीलांट द्वारा श्रीमानजी के समक्ष मजबूत आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है:-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नही देकर एवं न ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतो पर कोई गौर न कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो किया गया निर्णय विधि विरूद्व होने एवं शून्यकरणीय होने से खारिज किये जाने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ अपीलांट को दिनांक 27.12.2018 को उक्त प्रकरण बाबत नोटिस भेजा गया लेकिन मुझ अपीलांट द्वारा न तो नोटिस तामील करवाया गया एवं न ही मुझे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान दिया गया, एवं मुझ अपीलांट घर पर होने के बावजूद भी मेरे नाबालिग पुत्र महेन्द्र कुमार से तामील करवाया गया जो सी.पी.सी के प्रावधान अनुसार तामील नही माना जा सकता ।इस प्रकार मुझ अपीलांट की गैर मौजुदगी में किया गया एकपक्षीय आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ अपीलांट को जरिये नोटिस सूचना देनी चाहिये थी एवं सुनवाई का समुचित अवसर देना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मुझे कोई नोटिस दिया गया, न ही मुझे सुनवाई का समुचित अवसर दिया। जिस कारण मुझ अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत नही कर सका और न ही कोई मेरी ओर से वकील नियुक्त किया गया जिस कारण मेरे विरूद्व की गई कार्यवाही एकपक्षीय होकर निर्णय पारित किया है जो किया गया आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत पालडी सोलंकीयान को भी सुना जाना था, क्योंकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत पालडी के अधीन आती है एवं पालडी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर बताया है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का 50 60 वर्ष पहले से पुराने कब्जा व मकान बनाया हुआ है।दोनो तरफ पर्याप्त मात्रा में पटरीया छोडी हुई है बीच में 35 फीट का चौडा रास्ता है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड बनवाई हुई है।उक्त खसरा नबंर 887 में यह अतिक्रमण की भूमि आती है जबकि उक्त अतिक्रमण वाली भूमि न होकर यह पंचायत की ओर से आवश्यकतानुसार लोगो को मकान बनाने हेतु पट्टे आवंटन किये थे लेकिन पुराने समय में उक्त किस्म गैर मुमकिन रास्ता की किस्म को आबादी भूमि में परिवर्तन करनी चाहिए थी लेकिन पंचायत की भूल होने के कारण आबादी में परिवर्तन नही हो सकी जबकि यह भूमि ग्राम पंचायत पालडी सोलंकीयान में आती है।इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ अपीलांट को केवल अतिक्रमी मानकर नोटिस भेजकर मेरे विरूद्व ही निर्णय पारित किया है जबकि मुझ अपीलांट के साथ साथ जिस खसरा नबंर 887 में मुझे अतिक्रमी माना है उसी खसरा नबंर पर करीबन 50 लोगो के और भी पुश्तैनी रहवासीय मकान बने हुये है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पी.एम.आवास योजना के तहत मकान भी बने हुये है एवं सभी परिवारो के लाईट कनेक्शन पानी कनेक्शन लिये हुये है तथा मौके पर 35 फीट चौडा सीसी रोड भी बना हुआ है।मुझ अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा गलत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निर्णय पारित करवाया है जो सरासर गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है।उक्त निर्णय की मुझे पटवारी हल्का पालडी सोलकीयान के पटवारी मूर्ति विश्नोई ने दिनांक 25.07.2019 को मेरे घर पर आकर बताया कि तुम्हारे विरूद्व अधीनस्थ

न्यायालय में अतिक्रमण हटाने का निर्णय हुआ है जिसे तुम्हे अतिक्रमण हटाना होगा तब मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त निर्णय की नकल मांगी जो दिनांक 30.07.2019 को मुझे मिली तब मुझ अपीलांट को निर्णय की जानकारी हुई फिर भी धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश है।अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अत:अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2019 को खारिज फरमाया जावे।एवं अन्य आदेश जो अपीलांट के पक्ष में हो सादिर फरमावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रुप से दोहराते हुए कथन किया गया है, कि पटवारी हल्का पालडी सोलंकीयान द्वारा अपीलांट के विरूद्व ग्राम पालडी सोलंकीयान के खसरा नंबर 887 रकबा 0.0105 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया जाने के आधार पर रिपोर्ट तहसीलदार सांचोर को प्रस्तुत की गई,जिस पर तहसीलदार सांचोर द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू-अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2018 से कार्यवाही शुरू की गई। प्रकरण संख्या 74/2018 सरकार बनाम वजाराम में अपीलांट को सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2018 को नोटिस जारी हुआ।जो महेन्द्र कुमार पुत्र वजाराम से तामील होना माना गया जबकि महेन्द्र कुमार नाम का वजाराम के कोई पुत्र नही है।उसके बाद नोटिस क्रमांक/राज./2019/239 दिनांक 31.05.2019 को जारी हुआ जिसे राधादेवी पत्नि वजाराम द्वारा तामील किया गया।लेकिन वजागम की पत्नि का नाम राधादेवी नही है।इस प्रकार दोनो नोटिस अपीलांट को अथवा अपीलांट के परिवार के सदस्यों को तामील नही हुये है।नोटिस तामील अभाव में अपीलांट को प्रकरण संख्या 74/2018 सरकार बनाम वजागम में सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्राप्त नही होने से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 07.06.2019 को तहसीलदार सांचोर द्वारा पारित किया गया है।अत:सुनवाई के अभाव में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.06.2019 को खारिज फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया, कि अपीलांट द्वारा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।यह भूमि सार्वजनिक उपयोग में आने वाली है।तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 सरकार बनाम वजागम में अपीलांट को सुनवाई हेतु जो नोटिससेज जारी किये है वे उनके पुत्र व उनकी धर्म पत्नि से तामील हुये है। अपीलांट द्वारा पुत्र का नाम महेन्द्र कुमार तथा पत्नि का नाम राधादेवी होने से इन्कार किया है।लेकिन इसके समर्थन में परिवार राशनकार्ड अथवा अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया है।जिसके आधार पर अपीलांट के पुत्र महेन्द्र कुमार व पत्नि राधादेवी नही हो।अपीलांट द्वारा इस अपील में वादग्रस्त आगजी पर स्वंय का अतिक्रमण नही होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अत: तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 07.06.2019 को पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया।जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम पालडी सोलंकीयान के खसरा नंबर 887 रकबा 0.0105 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया जाने के आधार पर तहसीलदार सांचोर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 74/2018 दिनांक 27.12.2018 को दर्ज कर अपीलांट

को पेशी तारीख 11.01.2019 व 07.06.2019 पर उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु तलब किया गया।उक्त नोटिसमेज तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के पुत्र महेन्द्र कुमार व पत्नि राधादेवी से तामील करवाये गये है।अपीलांट द्वारा पुत्र का नाम महेन्द्र कुमार व पत्नि का नाम राधादेवी नही होने के समर्थन में परिवार राशनकार्ड की प्रति अथवा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।जिस के आधार पर नोटिस तामील कर्ता को अपीलांट के परिवार का सदस्य नही माना जा सके।अपीलांट द्वारा बहस के दौरान महेन्द्र कुमार के नाम का पुत्र नही होना कथन किया है।जबकि अपील मीमो के प्रथम पेरा में अपीलांट द्वारा यह उल्लेख किया है कि नोटिस मेरे पुत्र महेन्द्र कुमार को दिया जाकर तामील करवाया जबकि महेन्द्र कुमार मेरा नाबालिग पुत्र है।साथ ही अपील मीमो में अपीलांट द्वारा स्वंय की पत्नि का नाम राधादेवी नही होने का कोई कथन नही किया है।इन तथ्यो के आधार पर महेन्द्र कुमार को पुत्र एवं राधादेवी को पत्नि होने से इन्कार किया जाने योग्य नही है।तथा अपीलांट द्वारा विचाराधीन अपील में किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर स्वंय का अतिक्रमण नही होने के संबंध में भी कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 सरकार बनाम वजाराम में अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिसमेज भिजवाये जाकर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देते हुये न्यायिक प्रकिया अपनाकर दिनांक 07.06.2019 को निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 सरकार बनाम वजाराम में अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई के अवसर दिये जाकर दिनांक 07.06.2019 को विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाने से अपील स्वीकार कर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने योग्य नही है। अत:अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर जालोर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर, जालोर